न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिलकुमार जैन

प्रकरण सख्याः—09/20 निर्णय दिनांकः—15.10.2020

1 श्री भरत पिता ककुडा जाति भील नाबलिंग की वली माता जरीए संरक्षक श्रीमती कुरी पत्नि स्व. ककुडा जाति भील उम्र वयस्क निवासी गडापटटापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी

अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व

सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

अधिवक्ता वादीः— कर्तव्य शाह उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः—

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया गांव गडापटटापीठ तहसील सीमलवाडा की स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य होकर गरीब व अनपढ लोग है। वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र भरत पिता ककुडा के कब्जे में काश्त की रिकॉर्डडेड खातेदारी आराजी ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गडापटटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा होकर स्थित है। जो वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र भरत पिता ककुडा के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र भरत पिता ककुडा के पुर्वजो लगातार कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादीया व उसके नाबालिंग पुत्र भरत पिता ककुडा का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीया ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात पर लोन लेने हेतु वादीया ने खाते की नकले निकलवायी तो पता चला की पति ककुडा की मृत्यु के पश्चात हाल जमाबन्दी में वादीया व उसके पुत्र भरत पिता ककुडा का नाम दर्ज तो हो गया है। लेकिन वादीया के पुत्र नाबालिंग होने के बावजुद भी राजस्व कर्मचारीयों ने बालिंग दर्ज कर दिया गया है।

कमशः पेज 2 पर

उप खण्ड अधिकारी

जबकि वादीया ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात कृषि भुमि का नामान्तरण खोलने की बातकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीया व उसके पुत्र भरत का नाबालिंग होना दर्ज कराया गया था। लेकिन राजस्व कर्मचारी ने अपनी गलती करके खोले गए नामान्तरणकरण में बालिंग दर्ज कर दिया गया है। वादीया ने नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय ही राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादीया के पुत्र भरत का नाम अंकित तो किया गया है। लेकिन भुलवंश बांलिग दर्ज कर दिया है। ऐसे में वादीया ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादीया के पुत्र भरत पिता ककुडा को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गडाटाटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा से बेदखल न करे व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर हाल जमाबंदी में वादीया के पुत्र भरत का नाम के साथ नाबालिंग का अंकन कर वादीया के पुत्र भरत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर दिनांक 15.10.2020 को प्रतिवादी तहसीलदार ने पटवारी गडापटटापीठ को जांच रिपोर्ट भिजवाने पत्र भेजा गया। जिस पर वादीया का पुत्र भरत पिता ककुडा को बालिंग से नाबालिंग दर्ज कर वली माता कुरी पत्नि ककुडा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गडापटटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा जिसमें वादीया व उसके पुत्र भरत पिता ककुडा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना स्वीकार किया।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि का ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है।

कमशः पेज 3 पर

उप खण्ड अधिकारी
पोमलवाडा मु0 धम्बोला

इसी प्रकार मौजा गडापटटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा में खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे थे। लेकिन वादीया के पति ककुडा मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण संख्या 625 में भरत पिता ककुडा का नाबालिंग होने के बाद भी बालिंग दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में भरत पिता ककुडा के नाम में बालिंग को हटाया जाकर नाबालिंग दर्ज कर वादीया के पुत्र के नाम के साथ नाबालिंग की वली माता कुरी पत्नि ककुडा दर्ज किये जावे तथा नामान्तरण संख्या 625 को वादीया के विरुद शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। तथा प्रकरण में तहसीलदार सीमलवाडा पटवारी की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में भरत पिता ककुडा को बालिंग से नाबालिंग दुरूस्ती की जांच में वादीया द्वारा दिये गये दस्तावेज कमशः राजकीय बालिंका सेकेण्डी स्कुल धम्बोला कक्षा 4 सत्र 2019–20 के कमोन्नति प्रमाण पत्र की स्कॉलर रजिस्टर संख्या 421 व विद्यार्थी कमांक 105166499 में भरत की जन्म दिनांक 01.01.2007 एवं आधार कार्ड में भरत की आयु 01.01.2007 अंकित है। जिसके अनुसार भरत की आयु 13 वर्ष 9 माह है। तथा रिकॉर्ड में दर्ज नाम भरत पिता ककुडा के नाम में बालिंग को हटाया जाकर नाबालिंग दर्ज कर वादीया के पुत्र के नाम के साथ नाबालिंग की वली माता कुरी पत्नि ककुडा दर्ज किये जावे। ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हाल जमाबंदी, नामान्तरण संख्या 625 की प्रमाणित प्रति व तहसीलदार द्वारा जारी जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गडापटटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा में वादीया के पुत्र भरत पिता ककुडा का नाम तो दर्ज किया गया है। लेकिन बालिंग दर्ज कर दिया है। ऐसे में नाबालिंग दर्ज कर वादीया के पुत्र के नाम के साथ नाबालिंग की वली माता कुरी पत्नि ककुडा दर्ज नाबालिंग दर्ज कर ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गडाटटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा में वादीया के पुत्र भरत पिता कंकुडा को नाबलिंग दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता है।

कमशः पेज 4 पर

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा मु0 धम्बोला

आदेश

प्रकरण में वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गडापटटापीठ में खाता संख्या 259, खसरा नम्बर कमशः 1388/291, 1394/107 खेत किता 2 कुल रकबा 1.4893 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा गडापटटापीठ में खाता संख्या 301, खसरा नम्बर 104, 220, 221, 227, 292, 293, 294, 295, 296, 38, 95, 98 खेत किता 12 कुल रकबा 2.6388 हैक्टेयर में 1/20 हिस्सा में वादीया के पुत्र भरत पिता ककुडा का नाम तो दर्ज किया गया है। लेकिन बालिंग दर्ज कर दिया है। ऐसे में नाबालिंग दर्ज कर वादीया के पुत्र के नाम के साथ नाबालिंग की वली माता कुरी पत्नि ककुडा दर्ज नाबालिंग दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सोमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सोमलवाडा मु0 धम्बोला

आदेश आज दिनांक 15.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सोमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सोमलवाडा मु0 धम्बोला